

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्ता/उपलब्धता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- प. धान मल्ली ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गान्धारी खण्ड  
उपरी मोटर मार्ग से निसर्गोत्तरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.238 हे० वन  
भूमि हस्तांतरण

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना हेतु याचित भूमि 1.00 हे० से कम यानि 0.238 हे० मात्र वन भूमि है, 1.00 हे० से कम वन भूमि होने के फलस्वरूप अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 56/7-1 (व०भू०ह०) 66(75) 2008 दिनांक 22.03.2012 के अनुसार परियोजना पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागू न होने का आदेश प्राप्त है। जिस कारण परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्ता/उपलब्धता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं है।



प्रभाषीस वनाधिकारी,  
 उत्तरकाशी वन प्रभाग  
 उत्तरकाशी।